

प्ररूप-2

ग्राम:
ई-मेल:

फोन:
फैक्स:

कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर

संख्याक: मान्यता/
प्रबन्धक,

10000

/2015-16

तारीख: 21-3-16

जी०डी०गोयनका पब्लिक स्कूल
6 किमी, जानसठ रोड, शेरनगर
विकास खण्ड- सदर,
जनपद- मुजफ्फरनगर।

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2001 के नियम 15 के उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 18.8.2015 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्तुर्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 30.12.2015 में समिति द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में, मैं जी०डी० गोयनका पब्लिक स्कूल, 6 किमी, जानसठ रोड, शेरनगर, विकास खण्ड- सदर, जनपद- मुजफ्फरनगर को तारीख 30.12.2015 से तारीख 29.12.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक (अंग्रेजी-माध्यम) के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्वधीन है:-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2001 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थित, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-हीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4- पैरा 3 से निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जाएगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

For G.D. Goenka Public School

Secretary/Manager



(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और।

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।

अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	193000 वर्ग फीट
कुल निर्मित क्षेत्रफल	88500 वर्ग फीट
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल	104500 वर्ग फीट
कक्षाओं की संख्या	16 कक्षा
प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भांडागार के लिए कक्षा	है।
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	है।
पेयजल सुविधा	है।
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई	-
बाधारहित पहुंच	है।
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता	है।
9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।	
10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।	
11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।	

For G.D. Goenka Public School

Secretary/Manager



- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13-विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए।
- प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14-आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **MZN- 28/2016** है। कृप्या इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15-विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी केवल अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 17- संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(सतेन्द्र कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर

For G.D. Goenka Public School

Secretary/Manager



प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बैसिक)
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक: 08 मई, 2013

विषय: अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-437/79-6-2011 दिनांक 19 मई, 2011 एवं आपके पत्र दिनांक 15-12-2012, दिनांक 12-02-2013 एवं दिनांक 30-04-2013 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं तदनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 में विहित प्राविधानों तथा इस सम्बन्ध में संलग्न समय पर मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी नियमों एवं विभागीय निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित मानकों एवं शर्तों के निर्धारण की सहव्यवस्था प्रदान करते हैं :-

- (1) इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही मान्यता प्रदान की जायेगी।
- (2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालयों को इस संशोधित मानक/शर्तों को उ०प्र० निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 लागू होने की तिथि से 03 वर्ष में अपने आर्थिक स्रोतों से पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठावेंगे अन्यथा सक्षम प्राधिकारों द्वारा मान्यता प्रत्याहर्तित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मान्यता प्रत्याहरण के उपरान्त इस प्रकार का विद्यालय किसी भी दशा में संचालित नहीं किया जायेगा।
- (3) विद्यालय में अग्नि शमनयंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।

अप

GO RP

For G.D. Goenka Public School

Secretary/Manager



(14) मूल अधिनियम-2009 एवं अधिनियम-2012 की धारा-1ए(4) के द्वारा किये गये संशोधन असहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे।

(15) प्रत्येक विद्यार्थी प्रारंभ पर नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के दृष्टिकोण से अधिकतम मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में कस्यता की शर्तों को उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य उद्घाटित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय की रखायी मान्यता प्राप्ति हो गयी है।

कृपया संबंध गानकों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।
सहस्रनाम-यथोक्त।

भवदीय
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक संदर्भ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. रामस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर शिक्षा निदेशक (बे०), उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, त्रैस्तिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. रामस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बैरिक), उत्तर प्रदेश।
6. रामस्त जिला बैरिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. शिक्षा विभाग की समस्त अधिकारी/अनुभाग।
8. माई फाईल।

आज्ञा से,
(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

For G.D. Goenka Public School

Secretary/Manager

